राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–दीपशिखा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 102 / 2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024 / 160
दायर दिनांक– 07.08.2024
निर्णय दिनांक– 18.06.2025

1. किशनलाल पुत्र हीरा
2. राजूराम पुत्र हीरा
3. मोहनीदेवी पत्नि हीरा
4. पूसाराम पुत्र सुखाराम
   सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र सुखाराम जाति जाट
2. गोपाल पुत्र हीरा
3. धन्ना पुत्र हीरा
4. मंगला पुत्र हीरा
5. माला पुत्र हीरा
6. लक्ष्मण पुत्र हीरा
7. श्यामलाल पुत्र खेताराम
8. भंवरा पुत्र नाथू
   अप्रार्थी संख्या 2 से 8 जाति रेगर, सर्वनिवासी ग्राम कोटड़ी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी,अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का कोटड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 339 के ख0न0 144 रकबा 5.3798 है0 भूमि में प्रार्थीगण की जाति रेगर दर्ज है जबकि वास्तविक व सही जाति जाट है जो कि प्रार्थीगण के पुराने राजस्व जमाबन्दी में सही जाति जाट दर्ज है। उक्त वर्णित खाता एवं खसरा नम्बर की आराजी में राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा अन्तनिर्हित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थीगण की जाति रेगर का इन्द्राज किया हुआ है जबकि प्रार्थीगण की सही व वास्तविक जाति जाट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.09 11:19:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति रोग़ीकेशन के समय प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी राजस्व रिकार्ड का सेग्रीकशन करते समय सहवन रो जाति रेगर दर्ज हो गयी थी। उस समय प्रार्थीगण को जमीन के कागजात के बोरे में जानकारी नहीं थी यह एक लिपिकीय त्रुटि है जो प्रार्थीगण की जाति रेगर के स्थान पर जाति जाट का नाम इन्द्राज करवा कर इन्द्राज दुरुस्ती करवाना चाहते है। वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण की जाति रेगर दर्ज होने से प्रार्थीगण के अलग–अलग जाति अंकित होने से प्रार्थीगण को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एव अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि उक्त प्रार्थीगण जाति जाट व जाति रेगर दोनो जाति के प्रार्थीगण एक ही है जिसके संबंध में पूर्व जमाबन्दी संलग्न है। वाद वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का नाम सहवन से जाति रेगर गलत अंकित हो गई है जिसको दुरूस्त करवा कर प्रार्थीगण की सही जाति जाट का इन्द्राज करवाना चाहते है। उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के दर्ज जाति रेगर को शुद्धिकरण करवा कर प्रार्थीगण की सही जाति जाट का इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारी होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। वकील प्रांर्थीगण की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण की जाति पूर्ववत दर्ज जाति जाट करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्राथी संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 9 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ का जवाब प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब में कथन किया कि खाता संख्या 339 में दर्ज मोहनी देवी पत्नि हीरा, किशनलाल , राजूराम पिता हीरा हिस्सा 1/2 व पूसाराम पुत्र सुखाराम हिस्सा 101/532 की जाति रेगर के स्थान पर जाति जाट किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन व वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। ग्राम कोटड़ी की जमाबंदी वर्किंग के खाता संख्या 135 जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 के खाता संख्या 183 व जमाबंदी संवत 2054 से 2057 के खाता संख्या 208 में प्रार्थीगण(स्वयं/पिता/पति) की जाति जाट दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटड़ी के खाता संख्या 339 के ख0न0 144 में दर्ज मोहनी देवी पत्नि हीरा, किशनलाल , राजूराम पिता हीरा हिस्सा 1/2 व पूसाराम पुत्र सुखाराम हिस्सा 101/532 की जाति रेगर के स्थान पर जाति जाट किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

दीपशिखा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.09 11:49:55 IST
Reason: SelfAttested